प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 112/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट नियमावली जारी की

नई दिल्ली, 8 नवंबर 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट नियमावली जारी की है।

2. डिजिटलीकरण के लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने एक यथोचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एक सामान्य विनियामक फ्रेमवर्क तैयार किया। इस 'नए विनियामक फ्रेमवर्क' में इंटरकनेक्शन विनियम, 2017, सेवा की गुणवत्ता विनियम 2017 और टैरिफ आदेश, 2017 को शामिल किया गया है।

3. डिजिटलीकरण का पूरा लाभ विभिन्न हितधारकों को तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यापार लेनदेन पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण, माप योग्य और गणना योग्य मापदंडों पर आधारित हों। नया विनियामक फ्रेमवर्क सभी सेवा प्रदाताओं को एक समान अवसर, उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी विकल्प प्रदान करने और क्षेत्र का क्रमबद्ध विकास करने का प्रयास करता है। यह जरूरी और महत्वपूर्ण व्यवस्था की परिकल्पना करता है, जिसमें इंटरकनेक्शन समझौते पारदर्शी संदर्भ इंटरकनेक्ट प्रस्ताव पर आधारित हों।

4. इंटरकनेक्शन विनियम, 2017, विनियम 15 के उप विनियम (1) के तहत डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर (डीपीओ) द्वारा और विनियम 10 के उप विनियम (7) और विनियम 15 के उप विनियम (2) के तहत प्रसारक द्वारा द्वारा शुरू की गई लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान करता है। डीपीओ की प्रणालियों की प्रभावी और तथ्यात्मक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि उपकरण और सॉफ्टवेयर (सिस्टम के कॉनिफगरेशन सहित) मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क का अनुपालन करते हैं। नया फ्रेमवर्क प्रावधान करता है कि डीपीओ अपने सिस्टम की हर साल लेखापरीक्षा करवाएं ताकि प्रसारकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि सही सब्सक्रिप्शन संख्याएं सूचित की जा रही हैं। ऐसे मामलों में जिसमें एक प्रसारक डीपीओ द्वारा कराई गई लेखापरीक्षा के परिणामों से संतुष्ट नहीं है, एक प्रतिकारी प्रावधान प्रसारक को लेखापरीक्षा करने का अधिकार देता है। विश्वास–आधारित व्यवस्था की स्थापना के लिए लेखापरीक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, उद्योग हितधारकों ने एक ऑडिट नियमावली मुहैया कराने का सुझाव दिया है।

5. तदनुसार, प्राधिकरण ने उद्योग हितधारकों को लेकर एक समिति का गठन किया है, जो प्राधिकरण के लिए ड्राफ्ट ऑडिट नियमावली तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे।

6. 29 मार्च 2019 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट नियमावली पर परामर्श पत्र जारी किया गया था। टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, दिल्ली में 20 जून 2019 को ड्राफ्ट ऑडिट नियमावली पर चर्चा करने के लिए एक खुला मंर्च चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था।

7. यह नियमावली भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सभी टिप्पणियों, बीईसीआईएल के सुझावों और अंतिम विश्लेषण के बाद तैयार की गई है। ऑडिट नियमावली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए एक मार्गदर्शी दस्तावेज का काम करेगा क्योंकि यह सरल भाषा में चरण–दर–चरण प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। नियमावली मौजूदा विनियमों के किसी भी प्रावधान का अधिक्रमण नहीं करती है।

8. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट नियमावली, भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

9. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से टेलीफोन नंबर + 91–11–23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

जारी करने के लिए अधिकृत

(यू. के. श्रीवास्तव)

सचिव (आई/सी)

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।